

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हंसराज बनाम हगामा वगैरह

किस्म मुकदमा-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 276/2025 (अराई)

नोट केस नं.
खारिज
17/6/25

श्री रूपक शर्मा

10.06.2025

हंसराज बनाम हगामा वगैरह (2025/276)

यह अपील श्री रूपक शर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अराई द्वारा प्रकरण संख्या 17/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 17.06.2025 को पेश हो।

अजमेर अपील अधिकारी

17/6/25

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलार्थ उपर। अभिभाषक अपीलार्थ ने अपील को नोट केस में लिखे जाने हेतु रिप्रेज किया।
शतः अपील अपीलार्थ द्वारा अपील नोट केस में लिखे जाने से खारिज की जाती है पत्रावली के फल सुनवाई छोड़ रखने से कृप्य हो।

Rupak Sharma, Esq.
मुकदमा नं. 276
17/6/25

अजमेर अपील अधिकारी